यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार पौड़ी (गढ़वाल)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार पौड़ी (गढ़वाल)** के माह 07/2012 से 12/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुधीर कुमार तथा देवेद्र दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री गौरव पंत, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 09.01.2017 से 17.01.2017 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री ए.के. श्रीवास्तव एवं श्री के.एस. चौहान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 23.07.2012 से 28.07.2012 तक श्री राकेश कुमार लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित किया गया था। जिसमें माह 08/2007 से 06/2012 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा माह 07/2012 से 12/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जाँच की गई।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-

(अ) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार पौड़ी (गढ़वाल) का मुख्य कार्यकलाप चिकित्सालय में आने वाले रोगियों का चिकित्सा उपचार देना।

(ब) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार एवं इकाई द्वारा संचालित योजनाओं का भौगोलिक क्षेत्र मूल रूप से कोटद्वार पर्यक्षेत्र है यथापि चिकित्सालय में आने वाले समस्त मरीजों को लाभ प्राप्त होता है। इसका भौगोलिक क्षेत्र 13110.51 वर्ग मीटर है।

(II) (अ) विगत तीन वर्षों के बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2012-13	0	0	406.87	384.01	114.00	114.00		22.86 सम
2013-14	0	0	445.08	444.79	157.50	157.50		0.29 सम
2014-15	0	0	517.61	508.17	195.00	195.00		9.43सम
2015-16	0	0	625.27	550.70	235.00	235.00		74.57सम
2016-17 (Up to Dec. 2016)	0	0	575.99	494.92	45.00	45.00		81.07

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय आधिक्य (+)	बचत (-)
2012-13	JSY, Jssk, Promise family planning, seed mony, pulse polio etc.	6.63	54.02	44.18	16.48
2013-14	JSY, Jssk, Promise family planning, seed mony, pulse polio etc.	16.48	47.11	51.38	12.21
2014-15	JSY, Jssk, Promise family planning, seed mony, pulse polio etc.	12.21	53.99	57.56	8.64
2015-16	JSY, Jssk, Promise family planning, seed mony, pulse polio etc.	8.64	119.97	103.16	25.45
2016-17 (Up to Dec. 2016)	JSY, Jssk, Promise family planning, seed mony, pulse polio etc.	25.45	69.39	87.14	

(III) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्रोत महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड से प्राप्त होते हैं। विभाग के संगठनात्मक ढांचे की स्थिति सलंग्न है।

(IV) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः- लेखापरीक्षा में **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार** (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार** (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अंकित किया जाय) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 09/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। (जिस योजना का चयन किया गया उसका नाम अंकित किया जाय) का विस्तृत विश्लेषण किया गया। (प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि) के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखपरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-III

(इस भाग के विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो(अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो(ब) प्रस्तर संख्या	पूरक
46/2012-13	1	1	-----

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
46/2012-13	01	भाग-दो(अ)	यथावत	
46/2012-13	01	भाग-दो(ब)	यथावत	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये है, उनका वर्णन किया जाय)

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- गुणवत्ता निर्धारण किए बिना ` 327.98 लाख की औषधियों का वितरण किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1289/xxviii-5 2008-24/2003 चिकित्सा अनुभाग-5 देहरादून दिनांक 28 अक्टूबर 2009 के बिन्दु 11 (क) के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में राजकीय चिकित्सालयों/औषधियों के लिएएक बार में क्रय की गयी विभिन्न औषधियों में से 20 प्रतिशत दवाओं के रैंडम नमूने लेकर उनका अधिकृत ख्याति प्राप्त संस्थाओं से विश्लेषण कराया जाए ताकि दवाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। औषधि के नमूनों की जांच हेतु शासन द्वारा अनुमोदित जांचकर्ता फर्मों के पैनल से इस हेतु निर्धारित की गयी प्रक्रिया के अनुरूप जांच कराई जाए। बिन्दु 10 के अनुसार प्रत्येक निविदा दात्री फर्म द्वारा आपत्ति की जाने वाली औषधि उसके निर्माण की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। बिन्दु 22 के अनुसार 90 प्रतिशत औषधि मूल्य का भुगतान औषधि की मात्रा सुरक्षित गन्तव्य स्थल तक पहुँचने के 60 दिन के भीतरकर दिया जाना होगा। एवं शेष 10 प्रतिशत गुणवत्ता संबंधी जांच आख्या आने के 30 दिन के अंदर किया जाए।

राजकीय संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार के औषधियों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि चिकित्सालय द्वारा 2012-13 में किसी भी औषधि का परीक्षण नहीं कराया गया, 2013-14 में मात्र 16 किस्म की औषधि के ही परीक्षण कराये गए, 2014-15 के मात्र 10 किस्म की औषधि के, 2015-16 और 2016-17 में किसी भी औषधि का परीक्षण नहीं कराया गया, तरह क्रय की गयी 938 किस्म की औषधि के सापेक्ष मात्र 26 किस्म की औषधि (औसतन मात्र 2.8 प्रतिशत) के ही परीक्षण कराये गये। लेखापरीक्षा अवधि 2012-13 से 12/2016 तक ` 397.98 लाख की दवाईयाँ क्रय की गयी। जिसमें से क्रय की गयी दवाइयों के 20 प्रतिशत को रैंडम नमूने लेकर उनका अधिकृत ख्याति प्राप्त संस्थानों से विश्लेषण कराया जाना था, लेकिन विभाग द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुये औषधियों के परीक्षण नहीं कराये गए। जो कि शासनादेश के प्रावधानों में वर्णित नियमों का उल्लंघन था।

S. No.	Year	No. Of Purchase Medicine	Amount (` in lakh)	No. of Total Medicine Random Sampling
1	2012-13	261	57.32	0
2	2013-14	268	78.83	16
3	2014-15	201	74.28	10
4	2015-16	139	80.05	0
5	2016-17 Upto 12/2016	69	37.50	0
Total		**938**	**327.98**	**26**

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार ने तथ्यों एवं आंकणों की पुष्टि की एवं अवगत कराया कि औषधि

नियमावली 2015-16 के प्रावधानों के अनुरूप महानिदेशालय से पर्याप्त औषधियों की आपूर्ति न होने के कारण चिकित्सालय द्वारा अधिकांश औषधियों प्रोक्यूरमेण्ट नियमावली 2015 एवं कोटेशन प्रक्रिया के अंतर्गत क्रय की गयी सभी औषधियों अल्प अवधि हेतु क्रय की जाती है समयाभाव एवं मरीज की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये सैंपलिंग संभव नहीं हो पाती, निकट भविष्य में इसका अनुपालन किया जाएगा।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा औषधि के संबंध में जारी शासनादेश की अनदेखी करते हुए औषधियों की आपूर्ति की गयी साथ ही औषधियों की गुणवत्ता संबंधी मरीजों में वितरित किए जाने के फलस्वरूप मरीजों के स्वास्थ्य को भी ध्यान नहीं रखा गया।

अतः गुणवत्ता निर्धारण किए बिना ` 327.98 लाख की औषधियों का वितरण किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-2- चिकित्सालय द्वारा ` 3.84 लाख की औषधियों का स्थानीय बाजार से अनियमित रूप से क्रय किया जाना।

शासनादेश संख्या 715/XXVII-5-2010-101/2009 दिनांक 21 जून 2010 के बिन्दु संख्या (7) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि सरकारी विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों से चिकित्सालय में परीक्षण तथा विभिन्न प्रकार कि चिकित्सा सेवा/सुविधाओं के लिए निर्धारित शुल्क प्राप्त किए जायेगें जिसकी प्रतिपूर्ति उनके द्वारा संबंधित विभाग से कराई जा सकती है।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक राजकीय संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल) के औषधि क्रय से संबंधित अभिलेखों कि नमूना जांच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि लेखापरीक्षा अवधि में चिकित्सालय में चिकित्सकों द्वारा अन्य शासकीय विभागों तथा विभाग के कार्मिकों हेतु चिकित्सालय में उपलब्ध औषधि से बाहर की औषधियों को लिखा गया। जिनकों चिकित्सालय द्वारा स्थानीय बाजार से क्रय कर अन्य शासकीय विभागों के रोगियों को उपलब्ध कराई गयी। इस प्रकार चिकित्सकों द्वारा केवल चिकित्सालय में उपलब्ध जेनेरिक औषधियों को लिखा जाना चाहिए था न की उन्हें चिकित्सालय से बाहर की दवाओं को लिखा जाना था। इस प्रकार उक्त रोगियों को स्थानीय बाजार से दवाएँ क्रय कर उपलब्ध करवाया गया जो कि नियम विरूद्ध था।

उक्त क्रय की गयी औषधियों को मुख्यतः अधिकारियों को स्थानीय बाजार से क्रय कर आपूर्ति की गयी। स्थानीय बाजार से क्रय की गयी औषधियों का विवरण निम्नवत है-

क्र.सं.	वर्ष	औषधियों की संख्या	अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या	स्थानीय बाजार से क्रय की गयी औषधियों का मूल्य

1.	2014-15	299	92	1,76,163.19
2.	2015-16	220	48	1,07,334.19
3.	2016-17 (दिस. 2016 तक)	133	40	1,00,248.16
योग				**3,83,745.54**

अतः उक्त प्रारूप से स्पष्ट था कि चिकित्सालय द्वारा ` 3.84 लाख कि औषधियों का स्थानीय बाजार से अनियमित रूप से क्रय किया गया।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आकणों की पुष्टि की थी अवगत कराया कि समय समय पर उच्चाधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के क्रम में चिकित्सालय प्रशासन द्वारा सभी चिकित्सकों को जेनेरिक औषधियों लिखने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। विशेष परिस्थितियों एवं मरीज की स्थिति के अनुसार कभी कभी चिकित्सकों के द्वारा ऐसी औषधियों लिखी जाती हैं जो चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं होती है।

विभाग का उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि शासनादेश में यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि सरकारी विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों से चिकित्सालय में परीक्षण तथा विभिन्न प्रकार कि चिकित्सा सेवा/सुविधाओं केलिए निर्धारित शुल्क प्राप्त किए जायेगे जिसकी प्रतिपूर्ति उनके द्वारा संबंधित विभाग से करायी जा सकती है। इसके विपरीत विभाग द्वारा उनको स्थानीय बाजार से औषधियों क्रय करके उपलब्ध करवायी गईं।

अतः चिकित्सालय द्वारा ` 3.84 लाख की औषधियों का स्थानीय बाजार से अनियमित रूप से क्रय किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग 2'ब'</u>

प्रस्तर-3- ` 3.03 लाख का अधिक व्यय ।

चिकित्सा महानिदेशक द्वारा जारी दिनांक 29 जून 2002 के कार्यालय आदेश मे यह प्राविधानित है कि औषधियो का स्थानीय क्रय अधिकतम खुदरा मूल्य से 16 धन 7 प्रतिशत (23 प्रतिशत) निम्न दरो पर किया जाए। इसी तरह उत्तराखंड शासन द्वारा जारी Standard Treatment Guidelines मे यह निर्देश दिये गए थे कि चिकित्सा अधिकारियों द्वारा इलाज हेतु जेनेटिक औषधियाँ ही लिखी जाए।

कार्यालय राजकीय संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल चिकित्सालय के 07/2012 से 12/2016 तक के औषधियो के स्थानीय क्रय संबंधी अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि चिकित्सालय द्वारा उक्त अवधि मे खुदरा मूल्य से 10 प्रतिशत से 11.05 प्रतिशत निम्न दर तक ` 21.42 लाख की औषधियो का स्थानीय क्रय किया गया। जबकि औषधियो का स्थानीय क्रय अधिकतम खुदरा मूल्य से 16 धन 7 प्रतिशत (23 प्रतिशत) निम्न दरो पर किया जाना था जो विभाग द्वारा नहीं किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है-

(धनराशि ` लाख मे)

वर्ष	अधिकतम खुदरा मूल्य के अनुसार क्रय की गयी औषधियो की लागत	अधिकतम खुदरा मूल्य से निम्न दर पर क्रय की गयी औषधियो का मूल्य	अधिकतम खुदरा मूल्य से 23 प्रतिशत निम्न दर के अनुसार क्रय की गयी औषधियों का मूल्य	अधिक व्यय (3–4)
1	2	3	4	5
2012-13	5.95	5.36 (10%)	4.58	0.78
2013-14	5.00	4.50 (10%)	3.85	0.65
2014-15	4.88	4.39 (10%)	3.76	0.63
2015-16	4.29	3.82 (11.05%)	3.30	0.52
2016-17	3.76	3.35 (11.05%)	2.90	0.45
	योग	**21.42**	**18.39**	**3.03**

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा अधिकतम खुदरा मूल्य से 23 प्रतिशत निम्न दर के स्थान 10 प्रतिशत से 11.05 प्रतिशत की निम्न दर से औषधियो का स्थानीय क्रय किया गया जिसके फलस्वरूप चिकित्सालय द्वारा ` 3.03 लाख औषधियों पर अधिक व्यय किया गया जिससे ` 3.03 लाख शासकीय धन की हानि हुयी।

आगे जांच मे पाया गया कि चिकित्सालय द्वारा निविदा संबंधी सूचना मे जेनेटिक औषधियो की पूर्ति एवं अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर आपूर्ति की शर्त ही नहीं रखी थी। जिससे स्पष्ट होता है कि विभाग द्वारा की गयी निविदा महानिदेशक द्वारा निर्धारित प्रावधानों एवं मापदण्डों के अनुरूप नहीं की गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने तथ्यो एवं आंकणों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि पूर्व के टेंडरो मे स्थानीय औषधि क्रय हेतु 16 धन 7 प्रतिशत निम्न दर पर स्थानीय औषधि आपूर्ति हेतु निविदा की गयी, किसी भी निविदादाता द्वारा टेंडर नहीं डाले गए। चिकित्सा प्रबंधन समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि अगली निविदा तक पूर्व निविदा को जारी रखते हुये पूर्ववत दरों पर स्थानीय औषधि क्रय की जाए। और अवगत कराया कि जेनेटिक औषधियाँ क्रय नहीं की गयी। लेकिन निकट भविष्य मे अनुपालन किया जाएगा।

विभाग द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि शासनादेश के अनुसार औषधियो का स्थानीय क्रय अधिकतम खुदरा मूल्य से 16 धन 7 प्रतिशत (23 प्रतिशत) निम्न दरो पर ही किया जाना था और चिकित्सालय के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार क्रय नहीं किया गया ।

अतः दिशा निर्देशों का पालन न किए जाने के कारण औषधियों का स्थानीय क्रय मे ` 3.03 लाख के अधिक व्यय का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर-1- ` 12.64 लाख की पुस्तकीय मूल्य की सामाग्री का नीलाम न किया जाना ।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड VI प्रस्तर 189 एवं 190 के अनुसार जैसे ही यह तथ्य सामने आए कि स्टोर की कोई सामाग्री निष्प्रयोज्य हो गयी है तो तत्काल फॉर्म 18 के प्रारूप में एक रिपोर्ट सक्षम अधिकारी को दी जाएगी। इसके पश्चात निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लोक नीलामी द्वारा बिक्री कर सामग्री का समायोजन किया जाएगा ।

राजकीय संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार के लेखा अभिलेखो में पाया गया कि ` 12,63,570 की पुस्तकीय मूल्य की सामग्री (सूची संलग्न), निष्प्रयोज्य अवस्था में पड़ी हुई है।

उक्त सामग्री कुल धनराशि ` 12,63,570 चिकित्सालय के स्टोर में रखी हुई है जिसको शीघ्र नीलाम किया जाना था लेकिन चिकित्सालय द्वारा नहीं कराया गया। उक्त सामग्रियों को नीलाम करके

समायोजन किया जाना चाहिए, उक्त सामग्री प्रति वर्ष क्षति हो रही है और उस सामग्री के मूल्य में कमी आ रही है।

उपरोक्त के संबंध मे संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर मे कहा है कि अल्ट्रासाउंड स्कैनर एवं डिजिटल फोटो कापियर मशीन का क्रय मूल्य अधिक होने के कारण निदेशालय स्तर से नीलामी कि कार्यवाही की जानी है, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अन्य सामाग्री को चिकित्सालय स्तर से नीलाम कर दिया जाएगा।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ` 12.64 लाख की सामग्री निष्प्रयोज्य पड़ी हुई है जिससे इसके मूल्य मे उतरोत्तर कमी होना निश्चित है

इस प्रकार ` 12.64 लाख की निष्प्रयोज्य सामाग्री को नीलाम न किए जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर-2- विभागीय उदासीनता के कारण ` 113.33 लाख के अनियमित व्यय किया गया।

शासनादेश संख्या 984/5-1-2004 (80) 95 दिनांक 28 जून 2000 में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि राजकीय चिकित्सालयों में पंजीकरण शुल्क तथा विभिन्न प्रकार के चिकित्सीय परीक्षण सेवा/सुविधाओं के प्रसंग में प्राप्त होने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत अंश संबंधित चिकित्सा इकाई के स्तर पर ही रखा जायेगा औस इस धनराशि का उपयोग तत्प्रयोजन हेतु गठित समिति के संकल्प के अनुसार पूर्व निर्धारित मदों में ही किया जायेगा।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल) के यूजर चार्जेज अभिलेखों कि जांच में पाया गयाकि वित्तीय वर्ष 2012-13 से 12/2016 तक विभाग द्वारा शासनादेश के अनुसार निर्धारित मदों पर व्यय के अतिरिक्त अन्य मदों पर भी व्यय किया गया था। यूजर चार्जेस के रूप में प्राप्त धनराशि का प्रयोग शासनादेश के वर्णित मदों से अन्य मदों जैसे मजदूरी पर व्यय, टेलीफोन/विद्युत देयकों के भुगतान, जल कर, लेखन सामग्री, कार्यालय व्यय एवं मशीन उपकरण क्रय आदि पर किया जा रहा था।

क्र. सं.	**मद का नाम**	**वित्तीय वर्ष 2012-13**	**वित्तीय वर्ष 2013-14**	**वित्तीय वर्ष 2014-15**	**वित्तीय वर्ष 2015-16**	**वित्तीय वर्ष 2016-17 (09/2016 तक)**
1.	मजदूरी	879676	888231	267840	664770	544650
2.	कार्यालय व्यय	928338	375826	261944	385532	180384
3.	विद्युत	336686	400821	585629	843270	716229
4.	जल कर	43120	150612	29804	38444	14180
5.	कार्यालय फर्नीचर	154071	194518	34668	19862	94999
6.	टेलीफोन	22050	36643	0	18452	15269
7.	मशीन उपकरण	1144695	801135	5292	246889	8000
योग		**35,08,636**	**28,47,786**	**11,85,177**	**22,17,219**	**15,73,711**

अतः उक्त विवरण से स्पष्ट था कि विगत वर्षों (2012-13 से 12/2016 तक) में ` 1,13,32,529/- का शासनादेश के अनुसार निर्धारित मदों पर व्यय के अतिरिक्त अन्य मदों पर अनियमित व्यय किया गया।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आकणों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि अध्यक्ष/जिलाधिकारी चिकित्सा प्रबंधन समिति एवं अन्य सभी समिति सदस्यों के द्वारा उक्त प्रक्रिया पूर्ण की जाती है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि यूजर चार्जेस के रूप में प्राप्त धनराशि से व्यय के संबंध में प्रत्येक मद के संबंध में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि किस मद पर व्यय किया जाना है लेकिन विभाग द्वारा निर्देशों की अनदेखी करते हुए धनराशि ` 1,15,13,504/- का अनियमित व्यय किया गया।

अतः विभागीय उदासीनता के कारण ` 115.14 लाख के अनियमित व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-3- दिशा निर्देशों का पालन न कर जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत धनराशि ` 60.74 लाख की सहायता राशि के अनियमित भुगतान।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना को एक महत्वपूर्ण अंतक्षेप के रूप में समाविष्ट किया गया था जिससे महिलाओं की पहुँच संस्थागत प्रसवों तक हो सके एवं जिसके प्रभाव से मातृत्व मृत्यु दर और शिशु दर में कमी लायी जा सके। जे.एस.वाई. का उद्देश्य सभी महिलाओं को वित्तीय पैकेज उपलब्ध कराकर संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित जननी सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देशों के प्रावधान किया गया कि सहायता राशि का भुगतान केवल माता को ही किया जाए, उसके किसी संबंधी अथवा अन्य व्यक्ति को नहीं किया जाये।

राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल) के जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत सहायता राशि के भुगतान संबंधी पंजिका वर्ष 2012-13 से 2015-16 कि जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि इन वर्षों में सहायता राशि के कुल भुगतानित 6905 लाभार्थियों में से 4456 प्रकरणों में धनराशि ` 60,74,000/- का भुगतान लाभार्थी द्वारा न प्राप्त करके उनके संबंधियों जैसे पति, सास-ससुर, बहन, देवर, जेठानी एवं आशा आदि के द्वारा प्राप्त किया गया था।

जिसका विवरण निम्नवत था-

क्र.सं.	**वर्ष**	**कुल लाभार्थियों की संख्या**	**भुगतान की गयी संबंधियों की संख्या**	**संबंधियों को भुगतान की गयी कुल धनराशि**
1	2013-14	2287	786	11,00,400.00
2	2014-15	2311	1620	22,00,400.00 (1451*1400+169*1000 = 2200400)
3	2015-16	2307	2050	27,73,200.00 (1808*1400+242*1000 =2773200
योग		**6905**	**4456**	**60,74,000.00**

उक्त विवरण से स्पष्ट था कि विभाग द्वारा दिशा-निर्देशों का पालन न कर जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत ` 60.74 लाख की सहायता राशि का अनियमित भुगतान किया गया।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकणों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि महिला लाभार्थी की गाइनेक वार्ड से पी.पी.सी. कार्यालय की दूरी अधिक होने के

फलस्वरूप पहुँचने हेतु अक्षमता साथ ही स्वास्थ्य के कारण भुगतान लाभार्थियों के अतिरिक्त उनके संबंधियों को भुगतान किया गया।

विभाग का उत्तर संतोष जनक नहीं था क्योंकि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सहायता राशि का भुगतान प्रसव के समय चिकित्सालय छोड़ने से पूर्व कर दिया जाना चाहिए जबकि अन्य लाभार्थियों के द्वारा चिकित्सालय में प्राप्त कर लिया गया था।

अतः दिशा निर्देशों का पालन न कर जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत धनराशि ` 60.74 लाख की सहायता राशि के अनियमित भुगतान का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-V

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार पौड़ी (गढ़वाल)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

(अ) अनुपालन आख्या

(I) **अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या**

3. सतत् अनियमितताएः-

(अ) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

क्र.सं.	नाम	पद नाम	अवधि
1.	डा. आई.एस. सामन्त	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	01.10.2010 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार पौड़ी (गढ़वाल)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)